NHRC moved over Guj police brutality

POST NEWS NETWORK

Bhubaneswar, May 16: Several rights activists Saturday sought intervention of National Human Rights Commission (NHRC) over the alleged brutality by Surat Police on an Odia migrant, who later succumbed to injuries at a local hospital.

The activists, Jayant Das, Pratap Mohnaty and Himanshu Kumar Nayak, have urged the Commission to direct the Chief Secretary of Gujarat to pay a compensation of 30 Lakh to the deceased migrant's relatives and also order the DGP of Gujarat to take stringent action against the police officials involved in the incident.

Notably, the victim, identified as Satya Swain of Buguda village under Bhanjanagar police limits in Ganjam, along with his elder brother, Santosh Swain, was working at a private company in Anjani Industrial Estate at Surat.

He was allegedly beaten by the police brutally Thursday evening for violating the social distancing norms during the lockdown.

आवेदनकर्ता को एसएमएस के जरिए भेज रहे जानकारी

मानवाधिकार आयोग जुटा वर्क फ्रॉम होम की कवायद में

ज्य मानव अधिकार आयोग की टीम लॉकडाउन के दौरान जनहित से जुड़े हुए मामलों को संज्ञान में लेते हुए काम कर रहा हैं। शिकायत की जांच और पंजीयन के साथ ही आवेदनकर्ता को एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जा रही है।

आयोग के अध्यक्ष एमपी सिंघल ने बताया कि शुरुआती दौर में मामले की सुनवाई में कठिनाई होगी। अब तक आयोग में इस तरह की परंपरा नहीं रही है। लेकिन, सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद इसे शुरू किया जा सकता है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से इसके संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इस समय कर्मचारियों को दो से तीन दिन के अंतराल में दफ्तर बुलवाया जा रहा है। वहीं घर पर



रहने के दौरान सभी को विभागीय प्रमुख के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अतिआवश्यक होने पर ही दफ्तर खुलवाया जा रहा है। आयोग में आने वाले ऑनलाइन शिकायतों का तुरंत पंजीयन कर इसकी सूचना आवेदनकर्ता को एसएमएस के जिए भेजी जा रही है।

एक्सपटे व्यू

सुरक्षा के साथ श्रेष्ठ कार्य होगा

रोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वर्क फ्रॉम होम की थ्योरी आदर्श हैं। विश्व के अनेक देशों और भारत की विभिन्न कंपनियों द्वारा इसे लागू किया गया है। इसके देश गति के साथ कार्य संपादित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अगर ऐसी प्रणाली लागू किए जाने पर त्रुटि रहित काम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए डिजीटल उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है।

राजीव श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त महानिदेशक सीआईडी छग पुलिस

रोजाना मिल रहे आवेदन

आयोग के अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना औसतन 2 से 3 आवेदन मिल रहे हैं। इनकी जांच करने के बाद सुनवाई योग्य आवेदनों का पंजीयन किया जा रहा है। साथ ही स्वतः संज्ञान लिए जाने योग्य मामलों पर भी नजर रखी जा रही है। बता दें कि इस समय राज्य मानवाधिकार में करीब 32 लोगों का स्टाफ है। इसके अध्यक्ष एमपी सिंघल, सदस्य गिरीधारी नायक सहित विधि अधिकारी और अन्य शामिल हैं। वह आयोग में ई-मेल के जरिए आने वाले आवेदन को देखने के साथ ही पुराने मामलों की समीक्षा भी कर रहे हैं।

सुनवाई बंद

लॉकडाउनको देखतेहुए सुनवाई को आगामी आदेश तक के लिए अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन के साधन के बंद होने और स्थिति को देखतेहुए वादी और परिवादी को हालात सामान्य होने के बाद बुलवाया जाएगा।